



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-220974
CG-DL-E-08082020-220974

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2325]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2020/श्रावण 15, 1942

No. 2325]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2020/SRAVANA 15, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2020

का.आ. 2623(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट दस ऑफिस जम्मू (NH 144A) के कि.मी 6.00 से कि.मी 26.350 जम्मू और कश्मीर राज्य के तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH 144A तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिप्टी कमिश्नर जम्मू	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 144A के	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	जम्मू नॉर्थ	1 पुरखू

		कि.मी. 6 से 26.35 तक			भलवल	1 मालपुर
--	--	-------------------------	--	--	------	----------

[फा. सं. NHIDCI/PMU-AKH/Jammu-Akhnoor/LA/PKG-III/2020-21]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, 31st July, 2020

S.O. 2623(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km 6.00 to Km 26.350 of DC Office Jammu (NH 144A) in the State of JAMMU & KASHMIR for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of JAMMU & KASHMIR.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH 144A in the State of JAMMU & KASHMIR.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Commissioner Jammu	6KM To 26.35KM	JAMMU & KASHMIR	JAMMU	Jammu North	1 Purkhoo
					Bhalwal	1 Malpur

[F. No. NHIDCI/PMU-AKH/Jammu-Akhnoor/LA/PKG-III/2020-21]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.